न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला–..........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–..........20..............सन्–....2017–18.......।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–भदरू महतो बनाम प्रतिपक्षी– अंचल अधिकारी, बुण्डू।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
29-09-2020	**आदेश** प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–भदरू महतो, पिता–बुधु महतो, ग्राम+पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–336 R27/2016-2017/बुण्डू में दिनांक–19/12/2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिनके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। **भूमि विवरणी** मौजा: बुण्डू; थाना: बुण्डू; थाना सं०: 28; खाता सं०: 136; खेसरा सं०: 1683; रकवा: 7.5 डीसमील चौहदीः– उ०–नाला, द०–बाड़ी बुधु महतो लेख्यधारी, पू०–कुवा, प०–नाला। अपीलार्थी के द्वारा समर्पित आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में निम्नांकित उल्लेख किए हैंः– 1. यह कि आवेदक ने दिनांक–13.08.1987 को उपरोक्त भूमि निबंधित डीड सं०–7413/6979 के माध्यम से आकली देवी पति अजम्बर महतो, ग्राम पेड़ाईडीह, टोला डुबूडीह, पो०–जानुमपीड़ी, थाना–तमाड़ जिला राँची से खरीदा है एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है। 2. यह कि दिनांक–10.06.16 को म्यूटेशन हेतु नामांतरण मुकदमा सं०–336 R27/2016-2017 दायर किया गया। उक्त नामांतरण वाद में सुनवाई की तिथि में सूचना प्राप्ति के वावजूद अनुपस्थित रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही खतियान एवं वंशावली प्रस्तुत करने को कहा गया था। अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी ने खतियान वंशावली आवेदन में नहीं होने के बात कही है जबकि वास्तविकता यह है कि आवेदक के पास सभी आवश्यक कागजात है अंचल कार्यालय में समय न देकर एक ही तिथि में आवेदन अस्वीकृत किया गया जो न्यायोचित नहीं है।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
29-09-2020	अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए। अभिलेखबद्ध निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–336 R27/2016-2017/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना का प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार खतियान एवं वंशावली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित सुनवाई की तिथि को सुचना प्राप्ति के बावजूद आवेदक अनुपस्थित रहा। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे वांछित दस्तावेज प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, .बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। 29/9/20 29/9/20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	